

बलिकसि बानो मामला और परहार

प्रलिस के लयि:

बलिकसि बानो मामला और परहार, दंड का परहार, 2002 दंगे, [सर्वोच्च न्यायालय](#), [केंद्रीय अनवेषण बयुरो](#), [अनुच्छेद 72](#)

मेन्स के लयि:

बलिकसि बानो मामला और परहार, वभिनिन क्षेत्रों में वकिस के लयि सरकारी नीतयिँ एवं हस्तकषेप तथा उनकी रूपरेखा और कार्यानवयन से उत्पन्न होने वाले मुददे

[सुरोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्योँ?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने गुजरात राज्य में वर्ष 2002 के दंगों के दौरान बलिकसि बानो के साथ सामूहिक बलात्कार तथा उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या में शामिल 11 दोषयिँ को दंड परहार देने के गुजरात सरकार के नरिणय को रद्द कर दयिा है।

बलिकसि बानो मामले की पृष्ठभूमि क्या है?

- वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उक्त गर्भवती महिला बलिकसि बानो के साथ कूरर सामूहिक बलात्कार कयिा गया था तथा उसकी तीन वर्ष की बेटी सहति परिवार के सात सदस्यों को दंगाइयों ने मार डाला था।
- व्यापक वधिकि कारयवाही के बाद [केंद्रीय अनवेषण बयुरो](#) (Central Bureau of Investigation- CBI) ने मामले की जाँच की।
- वर्ष 2004 में बलिकसि को जान से मारने की धमकयिँ मलिने के बाद SC ने मुकदमे को गुजरात से मुंबई न्यायालय स्थानांतरति कर दयिा तथा केंद्र सरकार को एक वशेष लोक अभयिोजक (Public Prosecutor) नयुक्त करने का नरिदेश दयिा।
- वर्ष 2008 में मुंबई की एक न्यायालय ने 11 व्यक्तयिँ को सामूहिक बलात्कार तथा हत्या में शामिल होने के लयि दोषी सदिध कयिा जो बलिकसि बानो को न्याय दलिाने की दशिा में एक महत्त्वपूर्ण कदम था।
- हालाँकि अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने इन 11 दोषयिँ को परहार/माफी दे दी जिससे उनकी रहिाई हो गई। इस नरिणय ने संबद्ध छूट देने के लयि उत्तरदायी प्राधकिरण तथा क्षेत्राधकिार के संबंध में चतिाओं के कारण वविाद एवं वधिकि चुनौतयिँ को उजागर कयिा।

गुजरात सरकार की दंड परहार अनुदान को रद्द करने वाला सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय क्या है?

- अधकिार की कमी और छुपाए गए तथय:**
 - न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दयिा कि गुजरात सरकार के पास दंड परहार के आदेश जारी करने का अधकिार या क्षेत्राधकिार नहीं है।
 - CrPC की धारा 432 के तहत, राज्य सरकारों के पास कसिी दंड को नलिबति करने या कषमा करने की शक्ति है। लेकनि न्यायालय ने कहा कि कानून की धारा 7(B) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उपयुक्त सरकार वह है जिसके अधकिार क्षेत्र में अपराधी को सज़ा सुनाई जाती है।
 - इसने बताया कि दंड परहार देने का नरिणय उस राज्य के अधकिार क्षेत्र में होना चाहयिि जहाँ दोषयिँ को सज़ा सुनाई गई थी, न कि जहाँ अपराध हुआ था या जहाँ उन्हें कैद कयिा गया था।
- दंड परहार प्रक्रयिा की आलोचना:**
 - न्यायालय ने यह उल्लेख करते हुए दंड परहार प्रक्रयिा में गंभीर खामयिँ को उजागर कयिा है कि आदेशों पर उचित वचिार नहीं कयिा गया और तथयों को छपिकर प्राप्त कयिा गया, जो न्यायालय के साथ धोखाधड़ी है।
- सत्ता का अतरिक और गैरकानूनी प्रयोग:**
 - न्यायालय ने गुजरात सरकार की अतरिक की आलोचना करते हुए कहा कि उसने दंड परहार के आदेश जारी करने में उस शक्ति का गैरकानूनी तरीके से प्रयोग कयिा जो महाराष्ट्र सरकार के पास थी।
- स्वतंत्रता याचकिा के नरिदेश और अस्वीकृति:**

- अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिये दोषियों की याचिका को खारजि करते हुए, न्यायालय ने उन्हें दो सप्ताह के भीतर जेल के अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

परहार क्या है?

■ परचिय:

- परहार (Remission) एक बट्टि पर **किसी दंड या सज़ा की पूर्ण रूप से समाप्ति** है। दंड परहार फरलो (Furlough) और पैरोल (Parole) दोनों से अलग है क्योंकि इसमें कारावास-जीवन से वरिम के विपरीत दंड में कमी कर दी जाती है।
- दंड परहार में **सज़ा की प्रकृति बदलती नहीं** है, जबकि अवधिकम हो जाती है अर्थात् शेष सज़ा भुगतने की ज़रूरत नहीं होती है।
- दंड परहार का प्रभाव यह होता है कि कैदी को एक नश्चिति तारीख दी जाती है जिस दिन उसे रहिा कथिया जाएगा और कानून की नज़र में वह एक स्वतंत्र व्यक्ति होगा।
- हालाँकि दंड परहार की किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में इसे रद्द कर दिया जाएगा और अपराधी को वह पूरी अवधि वापस कारावास में व्यतीत करनी होगी जिसके लिये उसे मूल रूप से सज़ा सुनाई गई थी।

■ संवैधानिक प्रावधान:

- **राष्ट्रपति** और राज्यपाल दोनों को संवैधान द्वारा **क्षमा की संप्रभु शक्ति प्रदान** की गई है।
- **अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति** किसी भी व्यक्ति की सज़ा को क्षमा, लघुकरण, वरिम या प्रवर्लिनन कर सकता है या नलिंबति या कम कर सकता है।
 - यह सभी मामलों में किसी भी अपराध के लिये दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति हेतु कथिया जा सकता है:
 - सज़ा उन सभी मामलों में कोर्ट-मार्शल द्वारा होगी जहाँ सज़ा केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति से संबंधित किसी भी कानून के तहत अपराध को संदर्भित करती है और सभी मामलों में मौत की सज़ा होगी।
- **अनुच्छेद 161** के तहत **राज्यपाल** सज़ा को क्षमा, प्रवर्लिनन, वरिम या परहार दे सकता है या सज़ा को नलिंबति, हटा या कम कर सकता है।
 - यह राज्य की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आने वाले मामले में किसी भी कानून के तहत दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति के लिये कथिया जा सकता है।
- अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का दायरा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से अधिक व्यापक है।

■ परहार की सांविधिक शक्ति:

- **दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC)** जेल की सज़ा में दंड परहार का प्रावधान करती है, जिसका अर्थ है कि पूरी सज़ा या उसका एक हिस्सा रद्द कथिया जा सकता है।
- धारा 432 के तहत '**उपयुक्त सरकार**' किसी सज़ा को पूरी तरह या आंशिक रूप से शर्तों के साथ या उसके बिना नलिंबति या माफ कर सकती है।
- धारा 433 के तहत किसी भी सज़ा को उपयुक्त सरकार द्वारा कम कथिया जा सकता है।
- यह शक्ति राज्य सरकारों को उपलब्ध है ताकि वे जेल की अवधि पूरी करने से पहले कैदियों को रहिा करने का आदेश दे सकें।

■ परहार के ऐतिहासिक मामले:

- **लक्ष्मण नसकर बनाम पश्चिमि बंगाल राज्य (2000):**
 - इस मामले में **सर्वोच्च न्यायालय** ने उन कारकों को निर्धारित कथिया जो परहार के अनुदान को न्यित्तरति करते हैं:
 - क्या अपराध बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित कथिया बिना अपराध का एक व्यक्तिगत कार्य है?
 - क्या भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति की कोई संभावना है?
 - क्या अपराधी अपराध करने की अपनी क्षमता खो चुका है?
 - क्या इस दोषी को अब और कैद में रखने का कोई सार्थक उद्देश्य है?
 - दोषी के परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति।
- **इपुरु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2006):**
 - SC ने माना कि दंड परहार के आदेश की **न्यायिक समीक्षा** नमिनलिखित आधारों पर उपलब्ध है:
 - दमिग का उपयोग न करना;
 - आदेश दुर्भावनापूर्ण है;
 - आदेश अप्रासंगिक या पूर्णतः अप्रासंगिक विचारों पर पारित कथिया गया है;
 - प्रासंगिक सामग्रियों को विचार से बाहर रखा गया;
 - आदेश मनमानी से गस्त है।

नोट:

- **क्षमादान:** यह सज़ा और दोषसिद्धि दोनों को हटा देता है तथा दोषी को सभी सज़ाओं, दंडों एवं अयोग्यताओं से पूरी तरह से मुक्त कर देता है।
- **संपरिवर्तन:** यह सज़ा के एक रूप को कम सज़ा के साथ प्रतस्थिति करने को दर्शाता है। उदाहरण के लिये, मौत की सज़ा को कठोर कारावास में बदला जा सकता है।
- **राहत:** यह किसी विशेष तथ्य, जैसे किसी दोषी की शारीरिक वकिलांगता या किसी महिला अपराधी की गर्भावस्था, के कारण मूल रूप से दी गई सज़ा के स्थान पर कम सज़ा देने को दर्शाता है।
- **दंडवरिम:** इसका तात्पर्य अस्थायी अवधि के लिये किसी सज़ा (विशेष रूप से मौत की सज़ा) के नष्पादन पर रोक लगाना है। इसका उद्देश्य दोषी को राष्ट्रपति से माफी या सज़ा में छूट मांगने के लिये समय देना है।

और पढ़ें:

<https://www.drishtijudiciary.com/hin/editorial/Remission-in-Bilkis-Bano-Judgment>

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/bilkis-bano-case-and-remission>

